न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :- 1/2021

उनवान

राजेन्द्र पुत्र लालचन्द जाति सैनी निवासी ग्राम राताखेडा नसीराबाद
--- प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

1. इन्द्रा पत्नी प्रेमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद
2. उर्मिला पत्नी भंवरलाल जाति अहीर निवासी ग्राम सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद
3. भंवरी पत्नी ब्रजमोहन जाति अहीर निवासी ग्राम सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद
4. शशि ऐरन पत्नी कमलकिशोर ऐरन जाति अग्रवाल निवासी दुधिया मौहल्ला, नसीराबाद
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति यादव निवासी ग्राम सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद
6. प्रदीप कुमार सिंघल पुत्र सत्यनारायण सिंघल जाति अग्रवाल निवासी 583 रामदयाल मौहल्ला नसीराबाद
7. राजीव मेहरा पुत्र रतनलाल जाति कहार निवासी म0न0 3550 बाबू मौहल्ला, काली माई रोड, नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

--- अप्रार्थीगण :- 1 से 5 व 7 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
8. जरियें राज0 पैरोकार, 6 अनुपस्थित

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर))

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :- दिनांक :- 30.9.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर व पटवार मण्डल देराठू के खाता संख्या 206/43 के हाल खसरा नम्बर 804 रकबा 0.63 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 804 के उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 803 है। उसके बाद खसरा नम्बर 803/1400 है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रार्थी खसरा नम्बर 804 पर आने-जाने हेतु खसरा नम्बर 803 में से होते हुये मुख्य रास्ते में प्रवेश करता है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 803 मे से आवागमन करता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम बारापत्थर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 804 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 803 मे से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार ... रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:54 IST
Reason: SelfAttested

---2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

प्रकरण विचारण के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का बैचान जवाबकर्ता द्वारा दिनांक 08.04.21 को कर दिया है। अतः प्रकरण में जवाबकर्ता का नाम तर्क किया जावे। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नवीन केता को पक्षकार मूर्तिब कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नवीन केता को पक्षकार मूर्तिब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5 व 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 804 के पास खसरा नम्बर 805, 806, 807 व 808 की भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 804 पूर्व में भूरा पुत्र काना के नाम खातेदारी दर्ज थी जो बैचान के बाद प्रार्थी के नाम दर्ज हुयी है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 805 व 806 देवी पुत्र नाथू के नाम दर्ज थी जो उनके परिवार के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 808 रकबा 0.20 गै0मु0 रास्ता सुनिता पत्नी राजेन्द्र व रतन कंवर पत्नी चतर सिंह के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर 804 में जाता है। खसरा नम्बर 808 से प्रार्थी के खेत की दूरी ज्यादा नही है। खसरा नम्बर 808 व 804 के बीच खसरा नम्बर 805 है जो पूर्व में कुम्हारो का था तथा प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 804 भी कुम्हारो से क्रय किया है। प्रार्थी खसरा नम्बर 803 से होते हुये राजमार्ग पर आवागमन चाहता है तथा अपनी भूमि पर प्लाट काटना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि हडपने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नही की गयी है। वकील अप्रार्थी की आपत्ति पर न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 804 प्रार्थी की खातेदारी में है तथा खसरा नम्बर 803 अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी में है जिसे उनकें द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 से 7 को बैचान किया जा चुका है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर 804 में चारदीवारी बनायी हुयी है प्रार्थी ने अवगत कराया कि उक्त आराजी पर बोरिंग बना हुआ है तथा उसके द्वारा भूमि पर फलदार वृक्ष लगाये जायेगे। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी बतायी गयी। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि राजमार्ग से खसरा नम्बर 803, 791, 791/1261, 807, 806 में से होता हुआ ग्राम देराठू की तरफ रास्ता जाता है। राजस्व अभिलेख में उक्त सभी खसरा नम्बर अन्य व्यक्तियो की खातेदारी में है तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 808 गै0मु0 रास्ता दर्ज है जो सुनिता पत्नी राजेन्द्र व रतन कंवर पत्नी चतर सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। किन्तु मौके पर खसरा नम्बर 808 पर रास्ता उपलब्ध नही है। अन्य रास्ते खसरा नम्बर 811 से प्रार्थी के खसरा नम्बर 804 की दूरी लगभग 160 मीटर है तथा खसरा नम्बर 806 से 804 की दूरी 60 मीटर है तथा खसरा नम्बर 808 से 804 की दूरी 84 मीटर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 806 राजस्व अभिलेख में रास्ता नही है। तथा खसरा नम्बर 808 मौके पर रास्ता नही है। साथ ही उक्त दोनो खसरा नम्बर से प्रार्थी के खेत की दूरी भी पूर्व में प्रस्तावित रास्ते (803 से 804 तक रास्ते की दूरी 56 मीटर) से अधिक है। अप्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी आराजी में से रास्ता देने के बजाय अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में से रास्ता दिया जावे। किन्तु उक्त कथन न्यायोचित नही है। साथ ही मौका रिपोर्ट में दर्शाये अन्य रास्तो की दूरी भी अधिक है। उभयपक्ष की उपस्थिति में न्यायालय स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण करने पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके व रेकार्ड में नही पाया गया है। प्रार्थी द्वारा ... उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। तहसीलदार नसी... पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खसरा

---3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

...में से रास्ते की लम्बाई 56 मीटर व चौडाई 9.15 मीटर वांछित है। जिसका कुल ...512.40 वर्ग मीटर है। तथा उक्त रकबे की डी0एल0सी0 दर से राशि 261812/ (अक्षरे ...ख इकसठ हजार आठ सौ बारह रूपये मात्र) बनती है। न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण ...ते समय उभयपक्ष उपस्थित थे उक्त मौका रिपोर्ट न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के कथन व मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही तैयार की है जिस पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट बाबत कोई आपत्ति वर्तमान में शेष नही है। न्यायालय द्वारा प्रार्थी की आत्यतिंक आवश्यकता के बारे में निर्धारण करना है जो कि उक्त रिपोर्ट अनुसार सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। प्रार्थी खसरा नम्बर 803 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 803 में से 512.40 वर्ग मीटर भूमि सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त मार्ग के एवज में डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 523624/ अक्षरे पांच लाख तैईस हजार छः सौ चौबीस रूपये प्रार्थी द्वारा जमा करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को मौका रिपोर्ट में दर्ज नजरी नक्शा अनुसार राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे तथा प्रार्थी से रास्ते के एवज में प्राप्त राशि अप्रार्थी संख्या 5 से 7 को हिस्सेनुसार भुगतान करे। शेष खर्चा पक्षकार स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner